न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण **GCMS NO 2025/ 455**
दायरा तिथि : 08.08.2025
निर्णय तिथि : 01-12-25

वादी :–
सुगनसिंह पुत्र मोडसिंह आयु 67 वर्ष जाति राजपुत
निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. पेपसिंह पुत्र मोडसिंहजी जाति राजपुत आयु 57 वर्ष
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. हरजी उर्फ हजाराम पुत्र चेलाजी जाति गाडोलिया लुहार आयु 72 वर्ष
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
4. ग्राम पंचायत बीजापुर पंचायत समिति बाली जरिये जरिये सरपंच

उपस्थितिः–
1. श्री अमृत परिहार ....अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री गणपतलाल चौधरी.......................... अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से
3. प्रतिवादी 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित।
4. नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक 01/12/025

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम बीजापुर स्थित भूमि गत् खसरा नम्बर 677 रकबा 3 बीघा के भू भाग से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 1557 रकबा 0.48 हैक्टर मे से खसरा नंबर 1557/1 रकबा 0.16 हैक्टर का खातेदार वादी को, खसरा नंबर 1557 रकबा 0.16 हैक्टर का खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 को तथा खसरा नंबर 1557/2 रकबा 0.16 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या– 02 को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में इसका आधार यह बताया कि ग्राम बीजापुर के गत् खसरा नंबर. 677 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि उपखंड अधिकारी बाली के आदेश दिनांक 06.07.1973 से प्रतिवादी संख्या 02 हरजी उर्फ हजाराम पुत्र चेलाजी जाति गाडोलिया लुहार को नियमन की गई। नियमन का नामांतरकरण संख्या. 939 स्वीकृत होकर जमाबंदी संवत 2026 से 2029 में हरजी पुत्र चेला खातेदार दर्ज हुआ। जबकि इस भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या–01 'का कब्जा रहा है। भूमि पर कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या.–01 का होने से प्रतिवादी सं. 2 ने वादी व प्रतिवादी सं. 1 को वर्णित भूमि मे से 1/3, 1/3 हिस्सा यानि 1–1 बीघा का बेचान दिनांक 17.01.1979 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान कर दीः–

1. वादी को बेचान की गई भूमि के पडौस
1. उत्तर में – देवाजी रेबारी व करतसिंह दहिया राजपूत की जमीन
1 दक्षिण में– गांव सेणा जाने का आम रास्ता व आगे भैरूसिंह पुत्र जेतसिंह की भूमि
1 पूर्व मे –हरजी उर्फ हजाराम पुत्र चेलाजी गाडोलिया लुहार की शेष 1/3 हिस्सा की भूमि 01 बीघा
1 पश्चिम में– पेपसिंह पुत्र मोडसिंह राजपूत प्रतिवादी संख्या 01 की प्रतिवादी संख्या 02 से खरीदशुदा भूमि 1 बीघा, इसी इसी खसरा न. 677 की व आगे भाटुन्द जाने की सडक

2. प्रतिवादी स. 1 से बेचान की गई भूमि के पडौसः–
उतर मे– देवाजी रेबारी व करतसिंह व उनके पुत्र सुल्तानसिंह दहिया राजपूत का वाडा भूमि
दक्षिण में – बीजापुर से सेणा जाने का आम रास्ता व आगे भैरूसिंह जेतसिंह राजपूत की भूमि
पूर्व में – वादी सुजानसिंह पुत्र मोडसिंह राजपूत की इसी खसरा न. 677 की प्रतिवादी सं. 2 से खरिदशुदा भूमि 01 बीघा
पश्चिम में – भाटून्द जाने की सडक रास्ता

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार...........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण GCMS NO 2025/ 455
अनवान सुगनसिंह बनाम पेपसिंह वगैरा
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सैटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा न. 677 के क्षेत्रफल व अन्य खसरा नंबरान् 671, 674, 693, 694 को सम्मिलित करते हुए नये खसना नं. 1557 का कुल रकबा 5.89 हैक्टर सिवाचयक दर्ज किया, जबकि मौके पर गत खसरा न. 677 के रकबा 3 बीधा भूमि से बने हाल खसरा न. 1557 के रकबा 3 बीघा भूमि पर वादी व प्रतिवादी स. 1, 2 वर्ष 1979 से काबिज है। जिससे वादी उपरोक्तानुसार घोषणा खातेदारी के साथ सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के अधिकारी है। वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नाान्तरकरण संख्या 677, जमाबंदी 2026 से 2029 ग्राम बीजापुर, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल भू0 प्रबन्ध विभाग ग्राम बीजापुर, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2048 से 2051 खसरा नंबर 557 ग्राम बीजापुर, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख 939 ग्राम बीजापुर, फोटो प्रतिलिपिी लिखत बेचाननामा दिनांक 10.01.1979 बहक वादी, प्रमाणित प्रतिलिपी खसरा परिवर्तन संवत् 2033 से 2038 मौजा बीजापुर, प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रैस (फोटो प्रति) खसरा नंबर 1557 ग्राम बीजापुर, नजरी नक्शा मौका वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के कब्जे की भूमि गत खसरा नंबर 677 वर्तमान खसरा नंबर 1557, खतौनी संवत् 2022 से 2025 ग्राम बीजापुर के गत् खसरा नंबर 677 की, खतौनी संवत् 2034 से 2037 की गत खसरा नंबर 677 की, ग्राम बीजापुर के हाल नक्शा की प्रति, ग्रा बीजापुर के हाल खसरा नंबर 1557 की मिसल बंदोवस्त संवत् 2037 से 2056, ग्राम बीजापुर के नामान्तरकरण संख्या 468 स्वीकृत दिनांक 24.7.95, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी की अपील संख्या 39/95 सुगनसिंह बनाम सरपंच व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 5.3.1997 की प्रमाणित प्रति, राजस्व वाद संख्या 56/97 ग्राम पंचायत बीजापुर बनाम तहसीलदार, बाली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.4.1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किये। इन दस्तावेजी साक्ष्यो के अलावा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह PW-01 सुगनसिंह पुत्र मोडसिंह, गवाह PW-02 अशरफअली, गवाह PW-03 हनवंतसिंह पुत्र जुहारसिंह राजपुत उम्र 45 वर्ष, गवाह PW-04 पेपसिंह राजपुत उम्र 40 वर्ष निवासी बीजापुर के बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रतिवादी संख्या– 01 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया। वादग्रस्त भूमि सिवाचयक दर्ज होने के पश्चात उपखंड अधिकारी बाली के राजस्व वाद संख्या 118/95 बअनवान् सरपंच ग्राम बीजापुर बनाम तहसीलदार, बाली में पारित आदेश दिनांक 20.7.1955 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 474 स्वीकृति दिनांक31.7. 1995 से भूमि ग्राम पंचायत, बीजपुर के नाम आबादी दर्ज की गई। जिसके विरूद्व वादी ने अपील RAA पाली के न्यायालय में की, जो अपील सं. 39/55 सुगनसिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बीजापुर व अन्य दिनांक 05.03.1997 को स्वीकार कर उपखंड अधिकारी बाली के आदेश दिनांक 20.07.1995 को निरस्त कर प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषण कर पक्षकारो को सुनकर निर्णय पारित के निर्देश दिये तथा साथ ही हरजी पुत्र चेला को पक्षकार बनाने के भी निर्देश दिये।

उक्त वाद में प्रतिवादी स 2 हरजी द्वारा जवाबदावा पेश नही किया गया तथा वादीपक्ष की साक्ष्य के पश्चात पत्रावली बहस के लिये लंबित रहने के दौरान प्रति संख्या 02 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पेश किया, जिसको स्वीकार किये जाने पर अपने अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी के माध्यम से धारा 151 cpc का प्रार्थना पत्र पेश कर जवाबदावा पेश करने की अनुमति चाही, जो प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। जिसकी निगरानी राजस्व मंडल, अजमेर में की गई जो निगरानी निर्णित होकर पत्रावली पुनः इस न्यायालय को लौटाई गई तथा निर्णय में राजस्व मंडल, अजमेर ने प्रतिवादी सं.–02 को वाद में आगे की कार्यवाही में भाग लिये जाने की अनुमति दी गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पत्रावली माननीय राजस्व मंडलख अजमेर से प्राप्त होने पर वकीलवादी श्री अमृत परिहार व प्रति स.– 02 के अधिवक्ता श्री गणपत लाल चौधरी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वकील प्रतिवादी सं. 2 श्री गणपतलाल चौधरी ने दलील दी कि वादी ने अनरजिस्टर्ड ईकरार/लिखत के आधार पर खातेदारी की मांग की।

पेज लगातार..........03

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण **GCMS NO 2025/ 455**

अनवान सुगनसिंह बनाम पेपसिंह वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिन अनरजिस्टर्ड लिखत का कोई विधिक आधार नही होने से वाद वादी खारिज किये जाने की दलील दी तथा हाल खसरा न. 1557 रकबा 0.48 हैक्टर का खातेदार प्रतिवादी सं.–02 को घोषित किये जाने की दलील दी। वकीलवादी द्वारा बहस के दौरान निम्न कानूनी दृष्टांत पेश कियेः–

1. धारा 41 आर.टी.एक्ट खतेदार के हित की अन्तरणीयता किसी खातेदार अभिधारी का हित उप पट्टे के द्वारा से अन्यथा धारा 42 और 43 में विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन, अन्तरणीय होगा।
2. धारा 17 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 (बी) 100 रूप्ये या उससे अधिक के बेचान का पंजीयन ही आवश्यक है, अन्यथा वैकल्पिक हैं।
3. विक्रय विलेख से खातेदारी अधिकारो का अर्जन– प्राप्त होनां/ अन्तरण होना
   1990 आर.आर.डी पेज 44
   2006 (2) आर.आर.टी पेज 842
4. किसी भी विवाद के संयुक्त तौर से हित रखने वाले सभी व्यक्ति वाद में पक्षकार बतौर वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष होने क स्थिति में वादी व प्रतिवादी को संयुक्त तौर से अनुतोष दिया जा सकता है। 1963 ए.आई.आर बोम्बे पेज 170, 1939 ए.आई.आर.पी.सी. 170 सी.पी. सी. आदेश 01 नियम 3, 4 सी.पीसी. इस प्रकार उक्त वाद में वादी, प्रतिवादी संख्या एक पेपसिंह, प्रतिवादी संख्या 02 हरजी क्रमशः 0.16 हैक्टर, 0.16 हैक्टर, 0.16 हैक्टर की खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी हैं। इसके विपरित प्रतिवादी सं 2 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये

1. RRT 2011–12(supp) पेज 89
2. RRT 2014(2) पेज 1475 जिसके अनुसार– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 धारा 100– कब्जा व निषेधाज्ञा हेतु वाद– कब्जा होना साबित नहीं किया– वाद खारिज किया– विक्रय हेतु करार सम्पति में स्वत्व प्रदान नहीं करता हैं– अनरजिस्टर्ड विक्रय हेतु करार साक्ष्य में अग्राह्य था– वर्ा 1988 में कब्जा वापस लिया, किसी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया– दस्तावेज दिनांक 17.6.1981 पूर्व वाद में उल्लेखित नहीं किया– तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष– निर्णीत, अपील में विधि के सारवान् प्रश्न का अभाव है व खारिज होने योग्य हैं। (पैरा 9, 10, 11, 12)

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि बीजापुर के गत् खसरा नं. 677 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा मे से 3 बीघा भूमि दिनांक 6.07.1973 को प्रतिवादी संख्या– 02 हरजी पुत्र चेला को नियमन हुई तथा नियमन का नामान्तरकरण संख्या 939 स्वीकृत होकर जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में हरजी पुत्र चेला 3 बीघा का खातेदार दर्ज हुआ। सैटलमेंट के पश्चात वादग्रस्त भूमि गत खसरा न. 677 रकबा 3 बीघा को हाल खसरा न. 1557 रकबा 5.83 हैक्टर में सम्मिलित कर राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज किया। प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि प्रकरण में वर्णित भूमि बीजापुर के हाल खसरा न. 1557 रकबा 5.89 हैक्टर के सबंध में सरपंच ग्राम पंचायत बीजापुर द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 91 RT Act सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जिसके राजस्व वाद संख्या 118/95 सरपंच ग्राम पंचायत बीजापुर बनाम तहसीलदार बाली रहे है, को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.1995 से स्वीकार करते हुए उपखंड अधिकारी बाली के आदेश दिनांक 17.05.1971 व आदेश दिनांक 27.01.1983 की पालना में स्वीकृत नामांकरण स. 65 दिनांक 27.01.83 व नामांकरण संख्या–101 दिनांक 27.01.83 के अनुरूप सैटलमेंट विभाग द्वारा इन्द्राज नही करने से सैटलमेंट की भूल को दुरस्त कर भूमि के गत् रिकार्ड एवं स्वीकृत

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........04

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण **GCMS NO 2025/ 455**

अनवान सुगनसिंह बनाम पेपसिंह वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नामांकरण सं. 65 व 101 के अनुरूप बीजापुर के हाल खसरा न. 1537 रकबा 5.89 हैक्टर को आबादी दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में नामाकरण स. 174 दिनांक 31.07.1995 को **तहसीलदार,** बाली द्वारा स्वीकृत किया जाकर रिकार्ड में अमल दराकर कर भूमि ग्राम पंचायत बीजापुर के नाम बतौर गै. मु. आबादी दर्ज की गई। वादी सुगनसिंह द्वारा उपखंड अधिकारी बाली के राजस्व वाद 118/95 में दिनांक 20.07.95 को पारित आदेश को RAA पाली के न्यायालय में चुनौती दी गई। जो अपील सं. 39/95 सुगनसिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बीजापुर दिनांक 05.03.1997 को स्वीकार कर उपखंड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 20.07.1995 को निरस्त कर प्रकरण में हितबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा हरजी पुत्र चेला को पक्षकार बनाकर उसको भी अपना पक्ष पेश करने का अवसर देने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। निर्देशाो की पालना में प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्राप्त होने पर वादीपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पैरवी के अभाव में कार्यवाही का अभाव है। परन्तु अपीलार्थी वादी द्वारा उक्त वाद पेश किया है, जो राजस्व मंडल, अजमेर में प्रतिवादी सं.–0 2 द्वारा दायर निगरानी के निर्णय के पश्चात प्राप्त है। वादी ने अनरजिस्ट्रर्ड विलेख के आधार पर घोषणा खातेदारी चाही है, जबकि अनरजिस्ट्रर्ड विलेख साक्ष्य में ग्राहय नही है। इस प्रकार वादी जब तक अनरजिस्ट्रर्ड लिखत की जिनाईननेस सक्षम न्यायालय' से तय नही करा लेता तब तक वादी व प्रतिवादी संख्या–01 किसी प्रकार की घोषणा खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रतिवादी सं. 2 भी इस वाद में अपना जवाबदावा पेश करने में असफल रहा है, तथा साथ ही वाद कार्यवाही के दौरान् अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है, तथा बहस में भी साक्ष्य नही जुटा पाया है। जिससे प्रतिवादी संख्या–02 को उसकी नियमन शुदा 03 बीघा भूमि को वर्तमान में ग्राम पंचायत बीजापुर के नाम दर्ज आबादी मेंसे खातेदारी देने की अनुमति विधि के प्रावधान प्रदत्त नहीं करते है। परन्तु प्रतिवादी संख्या–02 चाहे तो अपनी नियमनशुदा भूमि की खातेदारी घोषणा का नया वाद समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो के साथ प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है, अर्थात प्रतिवादी सं. 2 चाहे तो अपने हूकको की घोषणा खातेदारी के लिये संपुर्ण दस्तावेजी साक्ष्यो के साथ नये सिरे से वाद प्रस्तुत कर अपना अनुतोष प्राप्त कर सकता है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

1/12

(विमलेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 01/12/025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/12

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–
सुगनसिंह पुत्र मोडसिंह आयु 67 वर्ष जाति राजपुत
निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. पेपसिंह पुत्र मोडसिंहजी जाति राजपुत आयु 57 वर्ष
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. हरजी उर्फ हजाराम पुत्र चेलाजी जाति गाडोलिया लुहार आयु 72 वर्ष
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
4. ग्राम पंचायत बीजापुर पंचायत समिति बाली जरिये जरिये सरपंच

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2025/455
वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि बीजापुर के गत् खसरा नं. 677 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा मे से 3 बीघा भूमि दिनांक 6. 07.1973 को प्रतिवादी संख्या– 02 हरजी पुत्र चेला को नियमन हुई तथा नियमन का नामान्तरकरण संख्या 939 स्वीकृत होकर जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में हरजी पुत्र चेला 3 बीघा का खातेदार दर्ज हुआ। सैटलमेंट के पश्चात वादग्रस्त भूमि गत खसरा न. 677 रकबा 3 बीघा को हाल खसरा न. 1557 रकबा 5.83 हैक्टर में सम्मिलित कर राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज किया। प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि प्रकरण में वर्णित भूमि बीजापुर के हाल खसरा न. 1557 रकबा 5.89 हैक्टर के सबंध में सरपंच ग्राम पंचायत बीजापुर द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 91 RT Act सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जिसके राजस्व वाद संख्या 118/95 सरपंच ग्राम पंचायत बीजापुर बनाम तहसीलदार बाली रहे है, को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.1995 से स्वीकार करते हुए उपखंड अधिकारी बाली के आदेश दिनांक 17.05.1971 व आदेश दिनांक 27.01.1983 की पालना में स्वीकृत नामांकरण स. 65 दिनांक 27.01.83 व नामांकरण संख्या–101 दिनांक 27. 01.83 के अनुरूप सैटलमेंट विभाग द्वारा इन्द्राज नही करने से सैटलमेंट की भूल को दुरस्त कर भूमि के गत् रिकार्ड एवं स्वीकृत नामांकरण सं. 65 व 101 के अनुरूप बीजापुर के हाल खसरा न. 1537 रकबा 5.89 हैक्टर को आबादी दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में नामाकरण स. 174 दिनांक 31.07.1995 को **तहसीलदार,** बाली द्वारा स्वीकृत किया जाकर रिकार्ड में अमल दराकर कर भूमि ग्राम पंचायत बीजापुर के नाम बतौर गै. मु. आबादी दर्ज की गई। वादी सुगनसिंह द्वारा उपखंड अधिकारी बाली के राजस्व वाद 118/95 में दिनांक 20.07.95 को पारित आदेश को RAA पाली के न्यायालय में चुनौती दी गई। जो अपील सं. 39/95 सुगनसिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत बीजापुर दिनांक 05.03. 1997 को स्वीकार कर उपखंड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 20.07.1995 को निरस्त कर प्रकरण में हितबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा हरजी पुत्र चेला को पक्षकार बनाकर उसको भी अपना पक्ष पेश करने का अवसर देने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। निर्देशो की पालना में प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्राप्त होने पर वादीपक्ष के अधिवक्ता द्वारा पैरवी के अभाव में कार्यवाही का अभाव है। परन्तु अपीलार्थी वादी द्वारा उक्त वाद पेश किया है, जो राजस्व मंडल, अजमेर में प्रतिवादी सं.–0 2 द्वारा दायर निगरानी के निर्णय के पश्चात प्राप्त है। वादी ने अनरजिस्ट्रर्ड विलेख के आधार पर घोषणा खातेदारी चाही है, जबकि अनरजिस्ट्रर्ड विलेख साक्ष्य में ग्राह्य नही है। इस प्रकार वादी जब तक अनरजिस्ट्रर्ड लिखत की जिनाईननेस सक्षम न्यायालय से तय नही करा लेता तब तक वादी व प्रतिवादी संख्या–01 किसी प्रकार की घोषणा खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रतिवादी सं. 2 भी इस वाद में अपना जवाबदावा पेश करने में असफल रहा है,

3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व वाद प्रकरण **GCMS NO 2025/ 455**

अनवान सुगनसिंह बनाम पेपसिंह वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तथा साथ ही वाद कार्यवाही के दौरान् अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है, तथा बहस में भी साक्ष्य नही जुटा पाया है। जिससे प्रतिवादी संख्या–02 को उसकी नियमन शुदा 03 बीघा भूमि को वर्तमान में ग्राम पंचायत बीजापुर के नाम दर्ज आबादी मेंसे खातेदारी देने की अनुमति विधि के प्रावधान प्रदत्त नहीं करते है। परन्तु प्रतिवादी संख्या–02 चाहे तो अपनी नियमनशुदा भूमि की खातेदारी घोषणा का नया वाद समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो के साथ प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है, अर्थात अर्थात प्रतिवादी सं. 2 चाहे तो अपने हकूको की घोषणा खातेदारी के लिये संपुर्ण दस्तावेजी साक्ष्यो के साथ नये सिरे से वाद प्रस्तुत कर अपना अनुतोष प्राप्त कर सकता है। लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01/12/025 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

01/12/25

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with OKEN Scanner